पॉल जोर्ज

बनाम

स्टेट ऑफ एनसीटी देहली

आपराधिक अपील नंबर 501/2008

मार्च 14, 2008

**एस.बी. सिन्हा और हरजीतसिंह बेदी न्यायाधिपतिगण**

दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978- धारा 140 के तहत संरक्षण- क्या उपलब्ध है- अपीलार्थी हैड कानि० जिसे पुलिस मुख्यालय में एक जरूरी वायरलैस संदेश देने का कार्य सौंपा गया था- उसने पुलिस मिनी ट्रक (अधिकारिक वाहन) चलाकर पुलिस स्टेशन छोडा- रास्ते में वह अचानक लेन को पृथक करने वाले सडक के डिवाईडर पर चढ गया और दूसरी लेन में आ रहे एक स्कूटर को टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरें को चोटें कारित हुई- अपीलार्थी की धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धी- को चुनौती - दलील कि अपीलार्थी "कर्तव्य के अाभास" में कार्य कर रहा था व धारा 140 के तहत उसके विरूद्ध अभियोजन पूर्णतः वर्जित था क्योंकि वह घटना की दिनांक से तीन माह के भीतर शुरू नही किया गया था- तर्कसंगता- अभिनिर्धारितः तर्क संगत नही - यद्यपि अपीलार्थी को सौपा गया कर्तव्य उसके पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी क्षमता में था, उसके सडक के डिवाइडर को कूदना व आने वाले यातायात के सामने आना, जिस कारण दुर्घटना हुई, का कार्य "कर्तव्य के अाभास" में नही आता- इसलिए अपीलार्थी का मामला धारा 140 के अन्तर्गत नही आता है और घटना की दिनांक से तीन माह के पश्चात कार्यवाही और अभियोजन का प्रारम्भ होना परिसीमा से बाहर नही था- फिर भी, मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों और न्यायहित में अपीलार्थी को परिवीक्षा पर रिहा

करने का निर्देश दिया- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 304ए - अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4

**अपीलार्थी हैड कानि. को पुलिस मुख्यालय को एक जरूरी वायरलैस संदेश पहुंचाने का कार्य सौपा गया था व पुलिस मिनी ट्रक (अधिकारिक वाहन) चलाकर पुलिस स्टेशन से निकला। रास्ते में, वह अचानक लेन को अलग करने वाले सडक के डिवाईडर पर चढ गया और विपरीत लेन में आ रहे स्कूटर से टकरा गया परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे को चोटें कारित हुई। अपीलार्थी को धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया।**

**वर्तमान अपील में जो प्रश्न विचारणीय था वह यह है कि क्या अपीलार्थी कर्तव्य के आभास में कार्य कर रहा था और दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 140 के तहत उसके विरूद्ध अभियोजन पूर्णतः वर्जित था क्योंकि यह घटना की दिनांक से तीन माह के भीतर शुरू नही किया गया था।**

**न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए**

**अभिनिर्धारितः 1.1 दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 140 (1) प्रावधान करती है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य के आभास में किये गये दोषपूर्ण कार्य के लिये कार्यवाही परिवादित कार्य की तारीख से तीन माह के भीतर प्रारम्भ करनी होगी और यदि समय सीमा निकल चुकी है तो वह वाद अथवा अभियोजन को वर्जित करेगा। (पैरा 7)**

**1.2 मामलें के तथ्यों से जो देखा जाना चाहिये वह कार्य की प्रकृति है और क्या वह अपीलार्थी को उपलब्ध संरक्षण के अन्तर्गत आता है। अपीलार्थी को पुलिस मुख्यालय को संदेश देने का कर्तव्य सौंपा गया था वह पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी क्षमता में था एवं उस सीमा तक और प्रथम दृष्टया उसे अधिनियम की धारा 140 द्वारा संरक्षित था। हालांकि सडक के डिवाइडर को कूदकर आने वाले यातायात के**

**सामने आना वह कारक था, जिससे दुर्घटना हुई वह स्पष्ट रूप से कर्तव्य के तहत दायरे में आने वाला मामला नही था। इसलिए अपीलार्थी का मामला धारा 140 के अन्तर्गत नही आयेगा और दुर्घटना की तारीख से तीन माह के बाद प्रारम्भ की गई कार्यवाही और अभियोजन परिसीमा से परे नही था। ( पैरा 8)**

**1.3 यह मुकदमा गत 20 वर्ष पूर्व से चल रहा है और विभिन्न अदालतों के माध्यम से दृढता पूवर्क लडा गया है। साथ ही अपीलार्थी जिसका सम्पूर्ण करियर अच्छा रहा है परंतु एक विचलन से उसकी दोषसिद्धी के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है इसलिए अपील को खारिज करते हुए यदि अपीलार्थी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तो पर परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है तो न्याय का उददेश्य पूर्ण होगा। ( पैरा 9)**

शंकरा मोईत्रा बनाम साधना दास **(2006) 3 स्केल 141 और** वीरूपक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर बनाम मैसूर राज्य **एआईआर (1963) सुप्रीम कोर्ट 849- संदर्भित**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 501/2008

आपराधिक पुनरीक्षण (पी) संख्या 555/2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के अन्तिम निर्णय व आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से रोमी चाको

प्रत्यर्थी की ओर से ए.शरण अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल, राकेश गर्ग और डी.एस. मेहरा

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति हरजीतसिंह बेदी द्वारा दिया गया।

1- अनुमति अनुदत्त की गई।

2- विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 मई 2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी को धारा 279 और 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था लेकिन पहली दो अदालतों द्वारा दी गई सजा को घटाकर 6 माह का कारावास दिया लेकिन जुर्माना यथावत रखा गया।

3- अपीलार्थी जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था और पुलिस थाना कश्मीरी गेट पर तैनात था। उसे एक जरूरी संदेश देने के लिए आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय जाने का निर्देश दिया गया था। वह पुलिस मिनी ट्रक नंबर डीडीएल 6462 चलाकर थाने से निकला जैसे ही वाहन जमुना बाजार की ओर जाने वाली रिंग रोड पर रेलवे पुल के नीचे पहुंचा, यह सडक के डिवाइडर पर चढ गया और एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसे हंसकुमार चला रहा था और उसका दोस्त आत्माराम पिछली सीट पर बैठा था। घबराए हुए अपीलार्थी ने ट्रक को सडक के दूसरी ओर वापस ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने पर एक बिजली के खंभे से टकरा गया और रूक गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया गया और आत्माराम को जय प्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया जहाँ बाद में चोटों के कारण उसने दम तोड दिया। जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है तदनुसार अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 304ए के तहत दोषी ठहराया गया। दोषसिद्धी और सजा की पुष्टि प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में की गई और इसे इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।

4. इस स्तर पर उठाई गई प्राथमिक दलील यह थी कि पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का उच्च न्यायालय का आदेश एक संवादरहित आदेश था तथा इस मुख्य दलील पर कि अपीलार्थी कर्तव्य के आभास में कार्य कर रहा था इसलिए अभियोजन

दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 140 के तहत निर्धारित सीमा से परे होने पर प्रारम्भ से ही अनुचित था, पर विचार नही किया गया। इस न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मामलें को उच्च न्यायालय में भेज दिया। इस परिस्थिति में उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेंवाजी का दूसरा दौर शुरू हुआ। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (वर्तमान अपीलार्थी) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि धारा 140 लागू नही होगी, लेकिन फिर भी धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मंजूरी ली जानी थी क्योंकि जब दुर्घटना हुई थी तब अपीलार्थी अधिकारिक वाहन चलाकर अपने पुलिस कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करना तात्पर्यित था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने **शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास 2006 (3) स्केल 141** पर भरोसा जताया। हालांकि, राज्य के विद्वान वकील ने निवेदित किया कि धारा 197 के तहत कोई मंजूरी आवश्यक नही थी क्योंकि अपीलार्थी के कर्तव्य और सडक डिवाइडर पार करने में और दूसरी तरफ किसी वाहन से टकराने के उपेक्षा और उतावलेपन के कृत्य के बीच कोई संबंध नही था। इस प्रकार धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता का प्रश्न उत्पन्न नही हुआ। इस प्रतिपादना के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई निर्णयों का हवाला दिया गया। इसके अलावा, राज्य के वकील ने आग्रह किया कि संहिता की धारा 197 केवल उस मामलें में लागू होती है, जहाॅ पर लोक सेवक सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नही तथा अपीलार्थी जो केवल एक हेड कांस्टेबल था, इस उच्च श्रेणी में नही आता। यह भी आग्रह किया गया कि अगर यह मान भी लिया जाए कि मंजूरी की आवश्यकता है तो भी विचारण दूषित नही होगा और कार्यवाही तथा सजा अपास्त नही की जा सकती क्योंकि खासकर मंजूरी प्राप्त नही करने की अनियमितता मात्र से किसी भी तरह के न्याय की विफलता नही हुई है।

5- उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 465 के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी में अनियमितता किसी अपील या

पुनरीक्षण न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को पलटने का स्वतः अधिकारी नही होगा जब तक कि यह स्थापित नही किया जा सके कि उक्त त्रुटि से न्याय की विफलता हुई है। तदनुसार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूॅंकि अपीलार्थी ने इस मुददे को विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नही उठाया था इसलिए यह परीक्षण आवश्यक नही था कि संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता थी या नही। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप यह अपील की गई।

6. हमारे सामने अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इसके विपरीत कथन किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत अभियोजन पूर्णतः वर्जित था, क्योंकि यह घटना की दिनांक से तीन माह के भीतर शुरू नही किया गया। उक्त दलील का सरकारी वकील ने पश्चातवर्ती सोच होने व पूर्व में नही उठाने के कारण विरोध किया। एेसे में मामलें का परीक्षण किया जाना चाहिए।

धारा 140 दिल्ली पुलिस अधिनियम को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

**मुकदमों और अभियोजनों का वर्जन**- (1) किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य या प्राधिकार के आभास में या एेसे किसी कर्तव्य या प्राधिकार के आधिक्य में किए गए किसी कार्य से हुए अभिकथित अपराध के या एेसे दोष के किसी मामलें में, जिसकी बाबत यह अभिकथन किया गया है कि वह एेसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है या जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपराध या दोष, यदि किया गया है तो पूर्वोक्त प्रकृति का है, अभियोजन या वादग्रहण नही किया जाएगा और यदि वह परिवादित कार्य की तारीख से तीन माह से अधिक समय पश्चात संस्थित किया जाता है तो वह खारिज कर दिया जाएगाः

परन्तु यदि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसा कोई अभियोजन अपराध की तारीख से एक वर्ष के अन्दर, प्रशासक की पूर्व मंजूरी से संस्थित किया जाता है तो

वह न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा। (2) यथापूर्वोक्त किसी दोष के कारण आशयित वाद के मामलें में, वाद लाने का आशय रखने वाला व्यक्ति अभकथित दोष को आशयित वादकर्ता को कम से कम एक मास की सूचना देगा, जिसमें परिवादित दोष का पर्याप्त वर्णन किया जाएगा और यदि वह संस्थित करने से पूर्व एेसी कोई सूचना नही दी गई है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा।

(3) वाद पत्र में यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रतिवादी पर यथापूर्वोक्त सूचना की तामील कर दी गई है। उसमें एेसी तामील की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा तथा यह कथन भी किया जाएगा कि क्या प्रतिवादी ने अभितुष्टि का कोई प्रस्ताव किया है, और यदि किया है तो वह प्रस्ताव क्या है। उक्त सूचना की एक प्रति वाद पत्र के साथ लगाई जाएगी और वादी द्वारा उस पर यह घोषणा पृष्ठांकित की जाएगी या उसके साथ यह घोषणा लगाई जाएगी कि सूचना किस समय तथा किस रीति से तामील की गई है।

7. अवलोकन मात्र से दर्शित होता है कि धारा 140 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि कर्तव्य के अाभास में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के खिलाफ कोई भी कार्यवाही परिवादित कृत्य की तारीख से तीन माह के भीतर शुरू की जानी चाहिए और यदि यह समय सीमा पार हो जाती है तो यह मुकदमा या अभियोजन को वर्जित करेगा। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि दुर्घटना के समय अपीलार्थी कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से पुलिस मुख्यालय के लिए एक जरूरी संदेश ले जा रहा था, वह कर्तव्य के आभास में काम कर रहा था और इसलिए वह धारा 140 की उपधारा (1) के लाभ का अधिकारी था। यह भी अभिवचन किया गया कि उक्त धारा में इस्तेमाल किये गये अपराध शब्द को केवल अधिनियम के तहत किए गए अपराधों तक ही सीमित नही किया जा सकता था बल्कि दण्ड संहिता के तहत अपराधों पर भी लागू था। और उक्त दोनों प्रतिपादनाआें के लिए विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णय **विरूपक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर बनाम मैसूर राज्य एआईआर 1963 एससी 849** पर

भरोसा जताया है। उक्त उद्धरित मामला बाॅम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (1) से संबंधित है, जिसमें अधिनियम की धारा 140 (1) के अनुरूप प्रावधान है और मामलें के तथ्यों के संदर्भ में इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने पाया कि संबंधित हेड कांस्टेबल को गांजा की बरामदगी के संदर्भ में गलत पंचनामा तैयार करने में बेपरवाह पाया गया और चूॅकि पंचनामा की तैयारी पुलिस अधिकारी अनन्य दायरे में थी तथा पंचनामा की रिकाॅर्डिंग को कर्तव्य के आभास में कहा जा सकता है और इस तरह बाॅम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 161 में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है। न्यायालय के द्वारा जो कहा गया वह यह है कि-

8. इन विधिक प्रावधानों के मददेनजर हमारे सामने यह गंभीर रूप से विवादित है कि गांजा की जब्ती के संबंध में एक सही पंचनामा और एक सही रिपोर्ट तैयार करना अपीलार्थी का कर्तव्य था। अभियोजन के आरोप के अनुसार उक्त कर्तव्य पूरा नही किया गया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कथित कृत्य गलत पंचनामा और झूठी रिपोर्ट तैयार करना था इसलिए अभी भी विचारणीय प्रश्न यह है कि जब जब्ती के संबंध में सही पंचनामा और सही रिपोर्ट तैयार करना संबंधित पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है तो वह इसके बजाय गलत पंचनामा और झूठी रिपोर्ट तैयार करता है, उसके द्वारा किया गया कृत्य कर्तव्य के आभास में या आधिक्य में किया जाता है।

9. अभिव्यक्ति "किसी के आभास में" या "कर्तव्य के आभास में" या "पद के आभास में" विधि के साथ-साथ आम बोलचाल में भी अक्सर उपयोग में नही लिया जाता है। अतः आम बोलचाल में जब किसी व्यक्ति को किसी दान के लिए धन एकत्रित करने का कर्तव्य सौंपा जाता है और वह उस अवसर का उपयोग अपने लिए धन एकत्रित करने के लिए करता है तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वह किसी दान के लिए धन एकत्रित करने की आड में अपने लिए धन एकत्रित कर रहा है। कोई कृत्य चाहे किसी पद या कर्तव्य या अधिकार के वास्तविक आभास में किया गया हो या नही। यह कहा जा सकता है कि वह कृत्य उस पद या कर्तव्य या अधिकार के अाभास में किया गया

है, यह स्पष्ट है कि जब आभास को किसी के आवरण या लबादे के रूप में ग्रहण किया जाता है जिसको किसी कर्तव्य पालन में या अधिकार या पद के प्रयोग में उचित रूप से नही किया जा सकता है। वह कृत्य पद या कर्तव्य या अधिकार के आभास में किया गया कहा जाता है। यह सोचना युक्तियुक्त है कि धारा 161 (1) में प्रयुक्त शब्द आभास में का प्रयोग विधायका द्वारा इसी रूप में किया गया है। इस संबंध में याद रखना उपयोगी है कि कई विधि शब्द कोषो में शब्द "पद का अाभास" उपरोक्त वर्णितानुसार ही प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार व्हार्टन के लाॅ लेक्सिकन, 14 वें संस्करण के पृष्ठ संख्या 214 पर हम निम्नानुसार पाते हैंः

पद का आभासः

"जब किसी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य भ्रष्टाचार पर आधारित होकर अनुचित ढंग से किया जाता है, जिसके लिए पद प्रतिछाया और मुखौटे के रूप में होता है।

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोष के तीसरे संस्कारण के पृष्ठ संख्या 521 पर हम निम्नानुसार पाते हैंः

> "आभास- "पद के आभास" को हमेशा सबसे बुरे रूप में प्रयुक्त किया जाता है और वह पद के मुखौटे में बुरे कार्य का प्रतीक है और यह पदाधिकार का विकृत चेहरा है जबकि पद "झूठ पर पर्दा" है और यह बात दोष पर आधारित है और पद इसकी प्रतिछाया के रूप में है लेकिन पद के कारण और पद के नाते यह हमेशा सर्वोत्तम भाग के लिए प्रयुक्त किया जाता है।"

10. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 161 (1) में कर्तव्य के आभास में शब्दों का प्रयोग कर्तव्य की आड में किये गये कार्यो को भी शामिल करने के लिए किया गया है, भले ही वे पद के नाते नही हों। जब वह (पुलिस अधिकारी) गलत पंचनामा अथवा झूठी रिपोर्ट तैयार करता है तो वह स्पष्ट रूप से अपने विधिक कर्तव्य के अस्तित्व काे भ्रष्ट

आचरण के आवरण के रूप मे उपयोग में ले रहा है अथवा स्ट्राउड के शब्दकोष में प्रयुक्त शब्द झूठ पर पर्दे के रूप में उपयोग में ले रहा है। इस प्रकार कर्तव्य की उपेक्षा में किये गये कार्य को कर्तव्य के अाभास के अधीन किया गया माना जाना चाहिए।

8. इसलिए यह स्पष्ट है कि मामलें के तथ्यों से जो देखा जाना चाहिए वह कार्य की प्रकृति है और क्या यह अपीलार्थी को उपलब्ध संरक्षण के अन्तर्गत आता है। वर्तमान मामलें के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी, एक हेड कांस्टेबल कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में तैनात था, को नई दिल्ली में आईटीआे स्थित पुलिस मुख्यालय में एक वायरलेस संदेश देने का काम सौंपा गया था और रास्ते में अचानक वह लेन को अलग करने वाले सडक के डिवाइडर पर चला गया और उसने विपरीत लेन में आ रहे स्कूटर को टक्कर मार दी थी। यह वह कृत्य है जिसके कारण अपीलार्थी ने एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी व दूसरे को चोटें। निःसंदेह अपीलार्थी को पुलिस मुख्यालय में संदेश पहुंचाने का काम सौपा गया था, जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी क्षमता में था और उस हद तक और प्रथम दृष्टया वह अधिनियम की धारा 140 के द्वारा संरक्षित था। हम पाते हैं कि हालांकि सडक डिवाइडर को कूदकर जाना व आने वाले यातायात के सामने आना वह कारक था जिस कारण दुर्घटना हुई और वह स्पष्ट रूप से कर्तव्य के आभास में आने वाला मामला नही था। इसलिए अपीलार्थी का मामला धारा 140 के अन्तर्गत नही आयेगा और दुर्घटना की तारीख से तीन माह के बाद प्रारम्भ की गई कार्यवाही और अभियोजन परिसीमा से परे नही था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय तक पदानुक्रम में आए विभिन्न मुकदमों में अपीलार्थी के वकील ने संहिता की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी और धारा 140 (1) के द्वारा अधिरोपित सीमा के संबंध में अस्पष्ट रूख अपनाया था। अब हम अपीलार्थी की सजा पर आते हैं।

9. यह मुकदमा पिछले 20 वर्षो से चल रहा है और विभिन्न अदालतों के माध्यम से दृढता से लडा गया है, हमें यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी, जिसका सम्पूर्ण करियर अच्छा रहा है लेकिन इस एक विचलन से उसकी दोषसिद्धी से उसे सेवा से

बर्खास्त कर दिया गया है इसलिए हम अपील को खारिज करते हुए महसूस करते हैं कि न्याय का उददेश्य तभी पूरा होगा जब हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तो पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाए। अपील उपरोक्त शर्तो के अनुसार निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार बागड़ी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।